लौह-अयस्क खान [1][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] उपकर अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 55)

[7 अप्रैल, 1976]

लौह-अयस्क खानों [2][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए लौह-अयस्क [2][, मैंगनीज-अयस्क और क्रोम-अयस्क]पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लौह-अयस्क खान [1][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] उपकर अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रथमत: किसी राज्य में केवल लौह-अयस्क खानों को या केवल मैंगनीज-अयस्क खानों [3][या केवल क्रोम-अयस्क खानों] को ऐसी तारीख से लागू कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि उस सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इस अधिनियम का विस्तार उस राज्य में सभी लौह-अयस्क खानों [1][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] पर ऐसी तारीख से कर सकेगी जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्यात" से भारत से बाहर के किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ;

(ख) "निधि" से लौह-अयस्क खान [4][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित लौह-अयस्क खान [4][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि अभिप्रेत है ;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और लौह-अयस्क खान [4][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि] अधिनियम, 1976 (1976 का 61) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. लौह-अयस्क और मैंगनीज-अयस्क पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण—उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, लौह-अयस्क खान [5][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में,—

(i) किसी खान में उत्पादित सभी लौह-अयस्क पर,—

(क) उस दशा में जिसमें लौह-अयस्क का निर्यात किया जाता है, सीमाशुल्क, या

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) उस दशा में जिसमें ऐसे लौह-अयस्क का, किसी धातुकर्मीय कारखानें के अधिष्ठाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय या अन्यथा व्ययन किया जाता है जो उसका बाद में किसी धातुकर्मीय कारखाने को विक्रय करता है, अथवा जिसका उपयोग खान के स्वामी द्वारा किसी धातुकर्मीय कारखाने में किया जाता है, उत्पाद-शुल्क,

लौह-अयस्क के प्रति मीटरी टन पर एक रुपए से अनधिक की ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत करे, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ;

(ii) किसी खान में उत्पादित सभी मैंगनीज-अयस्क पर,—

(क) उस दशा में जिसमें ऐसे मैंगनीज-अयस्क का निर्यात किया जाता है, सीमाशुल्क, या

(ख) उस दशा में जिसमें ऐसे मैंगनीज-अयस्क का, किसी धातुकर्मीय कारखाने में अधिष्ठाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय या अन्यथा व्ययन किया जाता है जो उसका बाद में किसी धातुकर्मीय कारखाने को विक्रय करता है, अथवा जिसका उपयोग खान के स्वामी द्वारा किसी धातुकर्मीय कारखाने में किया जाता है, उत्पाद-शुल्क,

मैंगनीज-अयस्क के प्रति मीटरी टन पर छह रुपए से अनधिक की ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत करे, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ;

[1][(iii) किसी खान में उत्पादित सभी क्रोम-अयस्क पर—

(क) उस दशा में जिसमें ऐसे क्रोम-अयस्क का निर्यात किया जाता है, सीमाशुल्क ; या

(ख) उस दशा में जिसमें ऐसे क्रोम-अयस्क का, किसी धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को, विक्रय या अन्यथा व्ययन किया जाता है, जो उसका बाद में किसी धातुकर्मीय कारखाने को विक्रय करता है, अथवा जिसका उपयोग खान के स्वामी द्वारा किसी धातुकर्मीय कारखाने में किया जाता है, उत्पाद-शुल्क,

क्रोम-अयस्क के प्रति टन पर छह रुपए से अनधिक की ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत करे, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण—जहां किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [1][या क्रोम-अयस्क खान] का स्वामी किसी धातुकर्मीय कारखाने का अधिष्ठाता भी है, वहां खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) [2][या खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) या खण्ड (iii) के उपखण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, ऐसे सभी लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क या क्रोम-अयस्क के बारे में,] जिसका खान में उत्पादन किया जाता है और जिसका विक्रय या अन्यथा व्ययन किसी अन्य धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाता है, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग ऐसे स्वामी द्वारा अपने धातुकर्मीय कारखाने के लिए किया गया है ।

4. सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क का संदाय—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [3][या क्रोम-अयस्क] पर उद्ग्रहणीय प्रत्येक सीमाशुल्क केन्द्रीय सरकार को ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा, [4][जो, यथास्थिति, लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क या क्रोम-अयस्क] का निर्यात करता है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [3][या क्रोम-अयस्क] पर उद्ग्रहणीय प्रत्येक उत्पाद-शुल्क,—

(क) धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता को ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसे लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [3][या क्रोम-अयस्क] का ऐसे अधिष्ठाता को विक्रय या अन्यथा व्ययन करता है,

(ख) उस दशा में जिसमें लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [3][या क्रोम-अयस्क] का उपयोग लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [3][या क्रोम-अयस्क खान] के स्वामी द्वारा किसी धातुकर्मीय कारखाने में किया जाता है, केन्द्रीय सरकार को ऐसे स्वामी द्वारा,

ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संदेय होगा ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सभी रकमें धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा ऐसी रीति से संगृहीत और केन्द्रीय सरकार को उसके द्वारा ऐसी अवधि के भीतर संदत्त की जाएंगी, जो विहित की जाए ।

5. शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना—धारा 3 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क के आगम भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

6. छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी धातुकर्मीय कारखाने के या धातुकर्मीय कारखानों के वर्ग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] पर सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे धातुकर्मीय कारखाने से या धातुकर्मीय कारखानों के वर्ग से ऐसे सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के संग्रहण-खर्च का अननुपातिक है तो वह, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे धातुकर्मीय कारखाने को या धातुकर्मीय कारखानों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

7. कारखानों के अधिष्ठाताओं और खानों के स्वामियों द्वारा संदेय ब्याज—यदि किसी कारखाने का कोई अधिष्ठाता अथवा किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [2][या क्रोम-अयस्क खान] का कोई स्वामी धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपने द्वारा संदेय कोई रकम उसके अधीन विहित अवधि के भीतर संदत्त करने में असफल रहेगा तो, यथास्थिति, ऐसा अधिष्ठाता या स्वामी संदत्त की जाने वाली रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय शोध्य है, उस तारीख तक जिसको ऐसी रकम वस्तुत: संदत्त की जाती है, संदत्त करने का दायी होगा ।

8. विहित अवधि के भीतर उत्पाद-शुल्क का संदाय न करने के लिए शास्ति—यदि धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता अथवा लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [3][या क्रोम-अयस्क खान] के स्वामी द्वारा संदेय किसी उत्पाद-शुल्क का संदाय उस सरकार को उक्त धारा के अधीन विहित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह बकाया है और इस निमित्त विहित प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता पर अथवा लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [3][या क्रोम-अयस्क खान] के स्वामी पर कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो बकाया उत्पाद-शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, ऐसे अधिष्ठाता या ऐसे स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी समुचित और पर्याप्त कारण से था तो इस धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

9. अधिनियम के अधीन शोध्य रकमों की वसूली—किसी धातुकर्मीय कारखाने के किसी अधिष्ठाता अथवा किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [4][या क्रोम-अयस्क खान] के किसी स्वामी से इस अधिनियम के अधीन शोध्य कोई रकम (जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 7 या धारा 8 के अधीन संदेय ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, भी है) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिस रीति से राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है ।

10. उत्पाद-शुल्क के अपवंचन के लिए शास्ति—(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपने द्वारा संदेय उत्पाद-शुल्क के संदाय का जानबूझकर या साशय अपवंचन करेगा या अपवंचन करने का प्रयत्न करेगा वह, दोषसिद्ध किए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।

11. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

12. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

13. निरसन और व्यावृत्ति—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही, लौह-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) निरसित हो जाएगा ।

(2) (क) उपधारा (1) द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन उपकर के रूप में संगृहीत रकम भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, खण्ड (क) के अधीन जमा किए गए उपकर के आगमों से अनधिक रकम, उस सरकार द्वारा यथा अवधारित संग्रहण-खर्च को घटाने के पश्चात्, निधि में जमा कर सकेगी ।

14. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा 3 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क का निर्धारण और संग्रहण ;

(ख) धारा 3 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क का वापस, परिहार और वसूल किया जाना ;

(ग) वह अवधि जिसके भीतर धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता को लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] का विक्रय या अन्यथा व्ययन करने वाला व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अधिष्ठाता को उत्पाद-शुल्क संदत्त करेगा ;

(घ) वह अवधि जिसके भीतर लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [1][या क्रोम-अयस्क खान] का स्वामी धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को उत्पाद-शुल्क संदत्त करेगा ;

(ङ) वह रीति जिससे धातुकर्मीय कारखाने का अधिष्ठाता धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उत्पाद-शुल्क का संग्रहण करेगा ;

(च) वह अवधि जिसके भीतर धातुकर्मीय कारखाने का अधिष्ठाता धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अपने द्वारा संगृहीत उत्पाद-शुल्क केन्द्रीय सरकार को संदत्त करेगा ;

(छ) वह प्राधिकारी जो धारा 8 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित या उपबंधित किया जाना है या किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन कोई नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि नियम का भंग जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———

[1] 1982 के अधिनियम सं० 44 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।